संख्या – 1389/1–10–2010–12(72)/2010

प्रेषक,

माजिद अली,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 16 अप्रैल, 2010

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–11 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहा यता प्रदान करने हेतु अग्रिम रूप से संलग्न सूची के अनुसार रू0 27,70,00,000/– (रुपये सत्ताइस करोड़ सत्तर लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–जी0आई0–134/1–11–2007–46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में, जहाँ राहत प्रदान करने के लिये मानक निर्धारित हैं, उन मदों में आवश्यकतानुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं –अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त व्यय की जाय। सामान्य दुर्घटनाओं–सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर–3 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों

मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या–4464/1–10–2008–14(45)/2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/– तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/– से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षो के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

6. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/ 1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर **http/rahat.up.nic.in** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या – 1389(1)/1–10–2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार– प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. समस्त कोषाधिकारी।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6. समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11/ राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
16-04-10
(श्रीश दुबे)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या – 1389/1–10–2010–12(72)/2010
दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का संलग्नक

क्र.सं.	जनपद	आवंटित धनराशि
1	बिजनौर	3000000
2	मुरादाबाद	3000000
3	रामपुर	3000000
4	सहारनपुर	3000000
5	मुजफ्फरनगर	3000000
6	मेरठ	3000000
7	गाजियाबाद	3000000
8	बुलन्दशहर	3000000
9	अलीगढ़	3000000
10	मथुरा	3000000
11	आगरा	3000000
12	फिरोजाबाद	3000000
13	एटा	3000000
14	मैनपुरी	3000000
15	बदायूं	3000000
16	बरेली	3000000
17	पीलीभीत	5000000
18	शाहजहांपुर	3000000
19	लखीमपुर खीरी	5000000
20	सीतापुर	5000000
21	हरदोई	3000000
22	उन्नाव	3000000
23	लखनऊ	3000000

24	रायबरेली	3000000
25	फर्रुखाबाद	3000000
26	इटावा	3000000
27	कानपुर देहात	3000000
28	कानपुर नगर	3000000
29	जालौन	5000000
30	झांसी	5000000
31	ललितपुर	5000000
32	हमीरपुर	5000000
33	बांदा	5000000
34	फतेहपुर	3000000
35	प्रतापगढ़	3000000
36	इलाहाबाद	3000000
37	बहराइच	5000000
38	गोण्डा	5000000
39	बाराबंकी	5000000
40	फैजाबाद	5000000
41	सुल्तानपुर	9000000
42	सिद्धार्थनगर	5000000
43	महाराजगंज	5000000
44	बस्ती	5000000
45	गोरखपुर	5000000
46	देवरिया	5000000
47	मऊ	5000000
48	आजमगढ़	5000000
49	जौनपुर	3000000
50	बलिया	5000000

51	गाजीपुर	5000000
52	वाराणसी	5000000
53	मिर्जापुर	5000000
54	सोनभद्र	5000000
55	संतरविदास नगर	3000000
56	कुशीनगर	5000000
57	महोबा	5000000
58	अम्बेडकरनगर	3000000
59	कौशाम्बी	3000000
60	ज्योतिबाफुलेनगर	3000000
61	गौतमबुद्धनगर	3000000
62	हाथरस	3000000
63	चित्रकूट	5000000
64	चन्दौली	3000000
65	श्रावस्ती	3000000
66	बलरामपुर	5000000
67	संतकबीरनगर	5000000
68	बागपत	3000000
69	कन्नौज	3000000
70	औरैया	3000000
71	कांसीराम नगर	3000000
	योग	**277000000**

(रुपये सत्ताइस करोड़ सत्तर लाख मात्र)

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त